न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 01/2015

राजेन्द्र प्रसाद यादव बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

28-7-2015 प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 2533 दिनांक 19.12.2014 द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि सौरबाजार प्रखंड अन्तर्गत कढ़ैया पंचायत के विगत 35 वर्षों से डीलर का कार्य करते चले आ रहे है। पब्लिक कन्ट्रोल आर्डर 2001 के प्रभावी होने पर उनका अनुज्ञप्ति संख्या– 161/2007 हो गया। अपीलार्थी आवंटित सामग्रियों का समय पर उठाव कर निर्धारित मात्रा में नियत मूल्य पर उपभोक्ताओं के बीच वितरण करते चले आ रहे है और विगत 35 वर्षों में किसी भी उपभोक्ता द्वारा उनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गयी। विगत पंचायत निर्वाचन में विपुल कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए और वे अपीलार्थी से मनोवांछित मांग करने लगे जो पूरा नहीं करने पर अपीलार्थी को धमकाने लगे तथा उनके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत पत्र डलवाया गया जिसकी जाँच सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गयी तथा ज्ञापांक 202–2 दिनांक 09.07.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में लगाये गये आरोप पर अपना करण पृच्छा अपेक्षित कागजातों के साथ समर्पित किया। साथ ही पत्नी का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी समर्पित किया। अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा करण पृच्छा पर सम्यक विचार किये बिना और अपीलार्थी को सुनने का मौका दिये बिना ज्ञापांक 2533 दिनांक 19.12.2014 द्वारा अनुज्ञप्ति रद्ध करने का आदेश पारित कर दिया गया, जो अपीलार्थी दिनांक 25.12.2014 को हस्तगत कराया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने अपील दाखिल कर अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करने की याचना की है। अपीलार्थी की पत्नी बीमार थी जिसके ईलाज के क्रम में जाँच की तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित पाये गये थे और साक्ष्य स्वरूप अपीलार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र भी समर्पित किया था। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने सभी पंजियों का संधारण कर रखा था, जिसमें वितरण पंजी पर उपभोक्ताओं का नाम, यूनिट, वितरित खाद्यान्न का मात्रा एवं कीमत अंकित था, जिसपर लाभार्थियों का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा था। इसे लाभार्थी के परिवार के किसी अन्य द्वारा इन्कार करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि लाभार्थियों ने खुद शपथ पत्र दाखिल कर अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इनकार किया गया। अनुमंडल

पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी ने न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो न्याय संगत नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विरूद्ध सुहथ पंचायत के वार्ड नं०–3 के 12 परिवार के सदस्य एवं कढ़ैया के वार्ड नं०–10 के 21 लाभुकों के बयान एवं पूछताछ में विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम अनाज देकर निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूलने का, साथ ही जाँच के दौरान बिना किसी सूचना के दुकान बंद पाये जाने का आरोप है। इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को समर्पित स्पष्टीकरण के साथ संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पंचायत सूहथ वार्ड नं0– 03 एवं पंचायत कढ़ैया वार्ड नं0– 10 के ग्रामीण जनता कुल 62 के साथ वार्ड सदस्य की अनुशंसा संलग्न किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि दूकान बंद होने का कारण इनका बीमार होना है एवं उपभोक्ताओं को उनसे शिकायत नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा ने इस कागजातों पर विचार करते हुए स्पष्टीकरण संतोषप्रद एवं स्वीकार योग्य नहीं होना बताया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के आदेश का अवलोकन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा ने` Reasoned Order पारित किया है इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

31.7.2015
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1921-R /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 31 जुलाई, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सरहसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

31/7/15
प्रभारी अपदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

31.7.15